



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर अपहरण व हत्या का अभियोग में 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व ₹80,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु०अ०सं०- 939/2013 धारा-364,302,201 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय ईसी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.बबलू कपाड़िया पुत्र रज्जाक कपाड़िया नि० ग्राम नरैनी जिला बांदा हालपता पूर्वी तरौस कस्बा व थाना मौदहा हमीरपुर 2.रफीक पुत्र वली मोहम्मद नि० ग्राम मराठीपुरा कस्बा व थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को आजीवन कारावास व ₹80,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी जगदीश  
अनुरागी



विवेचक-  
उ०नि० रहीम बख्श



पैरोकार- थाना मौदहा  
का० शुभम यादव